भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 4520

उत्तर देने की तारीख : 20.08.2025

हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह

4520. श्री उम्मेदा राम बेनीवाल:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अजमेर स्थित विश्व प्रसिद्ध हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह की वर्तमान भौतिक, धार्मिक और प्रशासनिक स्थिति क्या है;

(ख) क्या दरगाह पर रख-रखाव, स्वच्छता, सुरक्षा, प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए कोई स्थायी समिति गठित की गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके गठन की प्रक्रिया, क्षेत्राधिकार और कार्यकरण सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अजमेर दरगाह वर्षों से अनियमितताओं, कर्मचारियों की कमी और दान प्रबंधन में पारदर्शिता की कमी सहित विभिन्न प्रशासनिक मुद्दों का सामना कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इन मुद्दों के समाधान के लिए कोई समयबद्ध योजना बनाई गई है;

(च) क्या भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) ने विगत दस वर्षों के दौरान दरगाह से संबंधित कोई लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी संक्षिप्त ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या दरगाह की संरचनात्मक स्थिति जीर्ण-शीर्ण हो गई है; और

(ज) यदि हां, तो इसके नवीकरण/मरम्मत कार्य के लिए कौन-कौन से विभाग/अभिकरण उत्तरदायी हैं और इस प्रयोजनार्थ कौन-कौन सी योजनाएं बनाई गई हैं?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) दरगाह ख्वाजा साहब (DKS) अधिनियम, 1955, दरगाह ख्वाजा साहब अजमेर और दरगाह की बंदोबस्ती के उचित प्रशासन के लिए अधिनियमित किया गया है। दरगाह ख्वाजा साहब का प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंधन दरगाह समिति द्वारा किया जाता है, जिसमें कम से कम पांच और अधिकतम नौ सदस्य होते हैं, जो सभी हनफी मुसलमान होते हैं और जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।

DKS अधिनियम की धारा 6 के अनुसार, समिति का कोई भी सदस्य अपनी नियुक्ति की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद पर बना रहेगा। अधिनियम की धारा 7 के अनुसार, समिति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करेगी। अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत समिति की शक्तियां और कर्तव्य निम्नानुसार हैं -

(क) दरगाह बंदोबस्ती का प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंधन करना;

(ख) दरगाह शरीफ की सीमाओं के भीतर की इमारतों और दरगाह बंदोबस्ती में शामिल सभी इमारतों, घरों और दुकानों को उचित क्रम और अच्छी मरम्मत की स्थिति में रखना;

(ग) दरगाह बंदोबस्ती की सभी धनराशि और अन्य आय प्राप्त करना;

(घ) यह देखना कि बंदोबस्ती निधि का व्यय दानकर्ताओं द्वारा वांछित तरीके से किया जाए;

(ङ) दरगाह न्यास की आय या राजस्व से अथवा उस पर लगाए गए प्रभार से वेतन, भत्ते तथा अन्य सुविधाएँ अदा करना और देय सभी अन्य भुगतानों का भुगतान करना।

(च) खादिमों के विशेषाधिकारों का निर्धारण करना तथा दरगाह में उनकी उपस्थिति को विनियमित करने के लिए उन्हें लाइसेंस प्रदान करना, यदि समिति ऐसा करना आवश्यक समझे;

(छ) सलाहकार समिति की शक्तियों और कर्तव्यों को परिभाषित करना;

(ज) दरगाह के संबंध में सज्जादानशीन द्वारा प्रयोग किये जाने वाले कार्यों और शक्तियों, यदि कोई हों, का निर्धारण करना;

(झ) दरगाह बंदोबस्ती के सेवकों को नियुक्त करना, निलंबित करना या बर्खास्त करना;

(ञ) भारत में निवास करने वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के निर्धन वंशजों और उनके परिवारों तथा निर्धन खादिमों और उनके परिवारों की शिक्षा और भरण-पोषण के लिए ऐसी व्यवस्था करना जिसे समिति दरगाह की वित्तीय स्थिति के अनुरूप समीचीन समझे;

(ट) नाज़िम को ऐसी शक्तियां और कार्य सौंपना, जिन्हें समिति उचित समझे;

(ठ) अन्य सभी ऐसे कार्य करना जो दरगाह के कुशल प्रशासन के लिए प्रासंगिक या सहायक हों।

(घ) एवं (ङ) DKS अधिनियम 1955 के अनुसार, दरगाह का प्रशासन, दरगाह समिति के पास निहित है, जिसे दरगाह के मामलों का प्रबंधन करने, दान में पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा दरगाह के रख-रखाव के लिए आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति करने का अधिकार है।

(च) जी, हाँ। दरगाह समिति के खातों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (C&AG) को सौंपी गई है और C&AG द्वारा 2013-14 से 2022-23 तक की गई लंबित टिप्पणियों का सारांश संलग्न है **(अनुबंध-1)**।

(छ) और (ज) दरगाह की संरचना के कुछ हिस्सों में जर्जरता के संकेत दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यह स्मारक 700 वर्ष से भी अधिक पुराना है। दरगाह ख्वाजा साहब के नाज़िम को संरचनाओं की मरम्मत/नवीनीकरण के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाने और तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

*****

अनुबंध-1

भाग-III

(पिछले निरीक्षण प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेदों पर अनुवर्ती कार्यवाही)

निरीक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2013-14

1. दरगाह की परिसम्पतियों पर अनाधिकृत कब्जा करने वाले अतिक्रमियों की बेदखली का अभाव (अनु.सं. 1 भाग-IIब)

2. ख्वाजा मॉडल स्कूल के संचालन पर हुई हानि राशि रु. 43.31 लाख बाबत एंव बकाया फीस राशि रु. 1.85 लाख की वसूली का अभाव (अनु. सं. 4(अ) भाग-IIब)

3. नगर निगम से निर्माण की स्वीकृति के बिना निर्माण कार्य शुरू करने से राशि अवरूद्ध रहना रु. 4.76 लाख (अनु. सं. 8 भाग-IIब)

निरीक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2014-15

4. खाली पडी सम्पत्तियों को किराये पर नही देने से राजस्व प्राप्ति की हानि राशि रु. 48.00 लाख (अनु. सं. 1 भाग-IIब)

5. टी.डी.एस. कटौती का अभाव राशि रु. 18,900/- (अनु. सं. 5 भाग-IIब)

निरीक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2015-16

6. दरगाह परिसर में स्थित हुजरो के कब्जा बहाल नहीं होने से किराया का अभाव। (अनु. सं. 5 भाग-IIब)

निरीक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2018-20

7. कायड विश्राम स्थली अजमेर के पास 80 बीघा जमीन पर बाउण्ड्री वाल के निर्माण कार्य में पायी गयी अनियमितताऐं (अनु. सं. 2 भाग-IIब)

8. विभिन्न बैंको द्वारा ब्याज पर एवं जमा किराये पर काटी गयी टी.डी.एस. राशि को आयकर विभाग से वापिस प्राप्ति का अभाव (अनु. सं. 3 भाग-IIब)

9. दरगाह ख्वाजा साहेब की परिसम्पतियों के किराया एवं लाईसेंस फीस की वसूली का अभाव राशि रु. 62.65 लाख (अनु. सं. 4 भाग-IIब)

10. Construction of covered varanda at 1st floor on existing verandah कार्य के भुगतान बिलों से जी.एस.टी., लेबर सेस एवं रायॅल्टी कटौती का अभाव राशि रु. 2.74 लाख (अनु. सं. 5 भाग-IIब)

निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 2020-21

11. सोलह खम्बा टॉयलेट ब्लॉक निर्माण कार्य में पायी गयी अनियमितताएं। (अनु. सं. 1 भाग-IIब)

12. निर्धारित से कम किराये की प्राप्ति राशि रु. 1.39 लाख। (अनु. सं. 4 भाग-IIब)

13. आयकर अधिनियम के प्रावधानों के विरूद्ध नगद भुगतान राशि रु. 4.80 लाख।

(अनु. सं. 5 भाग-IIब)

14. बिना हवाई यात्रा टिकट/बोर्डिंग पास के यात्रा व्यय के अनियमित भुगतान राशि रु. 0.89 लाख

(अनु. सं. 6 भाग- IIब)

15. गूगल मीट पर हुई वर्चुवल बैठक के लिए निरर्थक एवं परिहार्य यात्रा व्यय का भुगतान राशि रु.0.34 लाख (अनु. सं. 7 भाग- IIब)

16. बिना वाहन संख्या के टैक्सी चार्जेज के अनियमित भुगतान राशि रु. 1.31 लाख

(अनु. सं. 8 भाग- IIब)

17. पैतालिस वर्षो के समयोपरान्त भी कार्यरत कर्मचारियो के सेवानियमों में परिवर्तन न करना तथा उन्हें एवं उनके आश्रितों को सामाजिक सुरक्षा लाभों से वंचित रखना (अनु. सं. 9 भाग- IIब)

18. पुस्तकालय में 1639 पुस्तकों का कम पाया जाना (अनु. सं. 10 भाग-IIब)

निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 2021-22

19. ख्वाजा मॉडल स्कूल अजमेर/ख्वाजा गरीब नवाज़ (आर.ए. सोसाइटी अजमेर) को दिये गये ऋण राशि रु. 243.31 लाख की पुनः प्राप्ति का अभाव एवं पूर्ववर्ती वर्षों में दिए गए ऋण राशि रु. 60.46 लाख को अग्रेषित/समाहित किये जाने का अभाव (अनु. सं. 1 भाग-IIब)

20. दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर की जागीरों की अवाप्ति के एवज मे देय एन्यूटी राशि की प्राप्ति का अभाव: राशि रु. 10.39 लाख। (अनु. सं. 3 भाग-IIब)

21. दरगाह परिसर की सम्पत्तियों (देगों) को कब्जे से मुक्त नहीं करवाये जाने से राजस्व की परिहार्य हानि। (अनु. सं. 4 भाग-IIब)

22. दरगाह ख्वाजा साहेब परिसर की सुरक्षा एवं आतंकवादी घटनाओं/गतिविधियों की रोकथाम हेतु क्रय की गई एक्स-रे मशीन का उपयोग सुनिश्चित नहीं किये जाने से निष्फल व्यय राशि रु. 28.30 लाख।

(अनु. सं. 5 भाग-IIब)

23. दरगाह ख्वाजा साहेब की परिसम्पतियों के किराया की वसूली का अभाव राशि रु. 8.25 लाख।

(अनु. सं. 6 भाग-IIब)

24. अस्थाई विधुत कनेक्शन हेतु जमा कराई गई Security Deposit राशि रु. 5.22 लाख पुनः प्राप्त करने का अभाव। (अनु. सं. 7 भाग-IIब)

निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 2022-23

25. दरगाह ख्वाजा साहेब की परिसम्पतियों के किराया की वसूली का अभाव राशि रु.16.87 लाख।

(OBS-1063179 भाग-IIब)

26. गरीब नवाज महाविद्यालय को प्रारम्भ नहीं किये जाने से निष्फल व्यय राशि रु. 0.65 लाख।

(OBS-1063236भाग-IIब)

27. विभिन्न बैंको द्वारा ब्याज पर एवं जमा किराये पर काटी गयी टी.डी.एस. राशि को आयकर विभाग से वापिस प्राप्ति का अभाव। (OBS-1063248 भाग-IIब)

28. दरगाह अतिथि गृह के कमरों के बकाया किराये की वसूली का अभाव राशि रु. 22.88 लाख।

(OBS-1063281भाग-IIब)

29. देय फीस की वसूली समय पर नही किये जाने से संस्थान को परिहार्य हानि राशि रु. 55.16 लाख।

(OBS-1063288भाग-IIब)

30. रोकड़ शाखा द्वारा प्राप्त राशि को जमा नहीं करवाए जाने से परिहार्य हानि राशि रु. 2.38 लाख।

(OBS-1063311भाग-IIब)

31. पुनर्भरण राशि की प्राप्ति सुनिश्चित नहीं किए जाने से संस्थान को परिहार्य राशि रु. 10.72 लाख

(OBS-भाग-IIब)

32. भू-उपयोग परिवर्तन सुनिश्चित किये बिना निर्माण प्रक्रिया शुरू करने से व्यय राशि का निरर्थक सिद्ध होना तथा उद्देश्य प्राप्ति का अभाव और जमा राशि के पुनः प्राप्ति का अभाव राशि रु. 5.67 लाख।

(OBS-भाग-IIब)

भाग-IV (उत्तम कार्य-प्रणाली)

कार्यालय नाजिम, दरगाह ख्वाजा साहेब, अजमेर के वर्ष 2023-24 के लेखो की समीक्षा के दौरान पाया गया कि आक्षेपित अनुच्छेदों के अतिरिक्त कार्यालय में अभिलेखों का संधारण सही व उचित तरीके से किया जा रहा है।

भाग –V (आभार)

कार्यालय नाजिम, दरगाह ख्वाजा साहेब, अजमेर एवं उनके कर्मचारियों का लेखा परीक्षा दल आभार व्यक्त करता हैं कि उनके द्वारा लेखापरीक्षा को सफलतापूर्वक सम्पन्न करने में सहयोग प्रदान किया गया। एक प्रारम्भिक वार्ता (Entry Conference) दिनांक 20.01.2025 को रखी गई, जिसमें लेखापरीक्षा के क्षेत्र एवं कार्यपद्धति को स्पष्ट

किया गया। ऑडिट के दौरान उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए 08.02.2025 को निकास वार्ता (Exit Conference) आयोजित की गई। ऑडिट टीम बैठने की व्यवस्था के लिए भी विनम्र आभार व्यक्त करती है।

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/सी.आर.ए.-II(व्यय)